# मध्यप्रदेश शासन
# तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

## बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
## सत्र 2015–16


| | | |
|---|---|---|
| 1 | शासकीय **(Govt.)** क्षेत्र के लिये<br>मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु | पृष्ठ 2–14 |
| 2 | निजी **(Private)** क्षेत्र के लिये<br>निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु | पृष्ठ 15–26 |
| 3 | विभिन्न प्रारूप | पृष्ठ 27–36 |
| 4 | संस्थावार उपलब्ध सीटों की सख्या (बी.ई) | पृष्ठ 37–68 |



## संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

| | |
|---|---|
| | के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) । |
| | स) उन संस्थाओं में, जिन्होनें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए है तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) । |

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशाा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

### 3.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण–

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेगें। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार पुनः परिवर्तित **(Redistribution)** किया जावेगा।

**टिप्पणी :**

(1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारुप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

# मध्यप्रदेश शासन
# तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

## एम.ई./एम.टेक. तथा एम. फार्मेसी पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
## Admission Rules for M.E./M.Tech. & M.Pharm.

## Session 2015-16


| | | |
|---|---|---|
| 1 | निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत<br>निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में एम.ई./एम.टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु<br>For admission in first year of M.E./M.Tech. & M.Pharma. course in Private Professional Education Institutes | पृष्ठ 2–8 |
| 2 | विभिन्न प्रारूप<br>Various Proforma | पृष्ठ 9–14 |
| 3 | एम.ई./एम.टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता (Eligibility for M.E./M.TECH. Courses) | पृष्ठ 15–23 |
| 4 | निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में एम.ई./एम. टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रम में संभावित सीटों की संख्या (Tentative Seats In M.E./M.TECH./ M.Pharm. Course In Private Institutes) | पृष्ठ 24–38 |



## संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

**1.4.2 Allocation/ Reservation of seats –**

In every institution 16%, 20% and 14% seats of sanctioned intake shall be reserved for the candidates belonging to SC, ST and OBC (excluding creamy layer) categories respectively as notified by the state government in this regard.

**1.4.2.1 Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:**

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate from the competent authority declared for this purpose in **Proforma-1** as given in this rule book.(Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 01-08-1996 *and as per latest order issued by the Govt. of M.P. in this regard.*

**1.4.2.2 OBC category of Madhya Pradesh**

A candidate claiming reservation under OBC (excluding creamy layer) category shall have to produce a certificate issued by the competent authority in **Proforma-2** as given in the rule book. (Vide MP Government GAD order No. F/7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 12-03-1997 and order no. ,F-7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 06-07-2000. *and as per latest order issued by the Govt. of M.P. regarding creamy layer. The candidate should also bring an income certificate regarding his/her family's income from the Competent Authority* or Income certificate as prescribed by GAD, Government of M.P. by its circular no. सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014. **(Proforma-4).** *and stating that his/her parents do not come under creamy layer if OBC certificate is issued before 30th April, 2012.*

**1.5 Eligibility for admission –**

**1.5.1** The Candidates should be an Indian National.

**1.5.2 Educational Qualifications:**

**M.E./M.Tech./M.Pharm. :**

A candidate seeking admission to **M.E. / M.Tech.** courses should be a Graduate in Engg/Technology with at least 50% marks, where as candidate seeking admission to **M. Pharm.** courses should be a Graduate in Pharmacy with at least 50% marks. Candidate belonging to SC/ST/OBC (excluding creamy layer) categories of Madhya Pradesh with at least 45% marks. Bachelors degree be of minimum of four years duration should have been obtained from any AICTE approved institution or Indian University or from a foreign University recognised by Association of Indian Universities (AIU) or institute recognized by the AIU as equivalent thereto.